कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कन्नौज

पत्रांक 1222/एसजीएसवाई-स्वय आ0संस्था/2003-04 दिनांक 4-8-2003

प्रबन्धक,

. . . .

जनकल्याण परिषद, उ0प्र0

. . . .

कन्नौज ।

स्वर्ण जयन्तीग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04में स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं उनके विकास हेतु आपकी संस्था को अनुबन्ध पत्र की शर्तों के अनुसार निम्नवत लक्ष्यों का आवंटन किया जाता है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि दुग्ध व्यवसाय में 30प्रतिशत से अधिक समूहों का गठन किसी भी परिस्थिति में न किया जाये।

क्रमांक संस्था का नाम	विकास खण्ड	आवंटित लक्ष्य (संख्या)	आवंटित क्षेत्र
जनकल्याण परिषद, कन्नौज ।	कन्नौज	40	सम्बन्धित खण्ड विकास अधि0 द्वारा आवंटित किया जायेगा।

समूह गठन में निम्नानुसार विस्तृत मार्ग-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये:-

1. गठित समूहों में 50% अनु0जाति/जनजाति, 40प्रतिशत महिला एवं 3% शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का आच्छादन होना चाहिये।
2. समूहों के प्रशिक्षण में सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी ।
3. समूहों में बचत एवं ऋण कार्यक्रम लागू करना स्वरोजगारियों व समूहों के बीच समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे ।
4. आवश्यक तकनीकी इन्पुट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
5. समूह/समूह के सदस्यों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन में सहयोग सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. समूह के प्रत्येक स्वरोजगारी को तीन वर्ष के अन्दर आर्थिक रूप से इतना सक्षम बना देना है कि बैंक ऋण अदायगी के बाद न्यूनतम रूप से प्रतिमाह रू02000/- की आर्थिक आय प्राप्त करने में सक्षम बन सके ।
7. गठित समूहों के सदस्यों की सूची बी0पी0एल0 क्रमांक सहित सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/अभिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे ।

उपरोक्तानुसार मुख्य बिन्दुओं को ध्यान रखते हुये, समय-समय पर जारी शासन/विभागीय आदेशों का पालन करते हुये समूहों के गठन एवं संचालन के सम्बन्ध में मासिक प्रगति रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी/अभिकरण कार्यालय को समय से उपलब्ध करायेंगे ।

4.8.03

(बी0के0 [illegible])
परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कन्नौज।

.....क्रमशः दो पर

8-समूह को प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रार्थना-पत्रों, ऋण वसूली किश्तों को निर्धारित करने, देय ऋण पर उचित ब्याज दर निर्धारित करने तथा ऋण की किश्तों की वसूली के सहज अनुश्रवण करने के योग्य होना चाहिये।

9-समूहों को एक समूह खाता खोलना चाहिये जिससे कि सदस्यों को ऋण वितरण किये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि इस खाते में जमा की जा सके।

10-समूह को साधारण मौलिक रिकार्डों का रख-रखाव करना चाहिये। यथा कार्यवाही पुस्तिका, उपस्थिति पंजिका, लोन लेजर, सामान्य लेजर, कैश बुक, बैंक पास बुक तथा व्यक्तिगत पास बुक।

11-प्रत्येक विकास खण्ड में गठित समूह का 50 प्रतिशत महिलाओं के लिये सीमित होना चाहिये।

12-समूह का पंजीकरण आवश्यक नहीं है।

13-आचरण नियमावली/उपनियम की तैयारी।

14-समूह के प्रत्येक स्वरोजगारी को तीन वर्ष के अन्दर आर्थिक रूप से इतना सक्षम बना देना है कि बैंक ऋण अदायगी के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से प्रतिमाह रू० 2000/- की आर्थिक आय प्राप्त करने योग्य बन सके।

15-सुविधादाता द्वारा किये गये कार्यों तथा स्वयं सहायता समूह के गठन एवं संचालन के सम्बन्ध में मासिक प्रगति आख्या खण्ड विकास अधिकारी/अभिकरण कार्यालय को सदा उपलब्ध कराना।

उपरोक्तानुसार मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुये तथा समय-समय पर शासन/निदेशालय के आदेशों का पालन करते हुये अपने स्तर से विकास(खण्ड/जनपद) का कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ कर 15 दिन के अन्दर समूह गठन एवं सम्बन्धित बैंक में खाता खुलवाने की कार्यवाही पूर्ण कर प्रथम सूचना प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

(श्रीनिवास सिंह)
परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
कन्नौज।

पृ०सं० 4 /नि०उ०का०। दि० 18.9.2000

1-सम्बन्धित स्वैच्छिक संस्था— [illegible] को अनुपालनार्थ।

2-खण्ड विकास अधिकारी— [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-मुख्य विकास अधिकारी, महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
कन्नौज।

आदेश

मुख्य विकास अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 16-1-2003 के क्रम में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के गठन से लेकर समूह के लाभार्थियों को समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेश के अधीन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाते हुये निर्धारित मानक के अनुसार मासिक/वार्षिक आय प्राप्त करने में सक्षम बनाने के कार्य हेतु निम्न विवरण के अनुसार आवंटित विकास खण्डों में संस्था द्वारा पूर्व में गठित किये गये समूहों को ही वर्ष 2002-2003 हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। समूहों का क्षेत्रवार निर्धारण सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क कर सुनिश्चित किया जायेगा।

क्र०सं०	संस्था का नाम	विकासखण्ड का नाम	गतवर्ष में आवंटित लक्ष्य	2002-2003 में आवंटित लक्ष्य
1.	महिला उत्थान सेवा समिति कन्नौज	कन्नौज	23	19
2.	जनकल्याण परिषद कन्नौज।	,,	58	35
3.	विश्व मानव एकता परिषद	,,	42	04
4.	कामिनी महिला सेवा भरथना।	हसेरन	23	19

समूह गठन में निम्नानुसार विस्तृत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये:-

1. योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समूहों का गठन सुनिश्चित किया जाये।
2. गठित समूहों में 50प्रतिशत अनु०जा०/जनजा०, 40प्रतिशत महिला, एवं 3प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांगव्यक्तियों का आच्छादन होना चाहिये।
3. समूहों के प्रशिक्षण में सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
4. समूह में बचत एवं ऋण कार्यक्रम लागू करना तथा बैंकों व समूह के बीच समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करना।
5. आवश्यक तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
6. समूह/समूह के सदस्य द्वारा उत्पादों के विपणन में सहयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वयं सहायता समूहों की ग्रेडिंग समय से कराना सुनिश्चित की जायेगी।
8. समूह के प्रत्येक स्वरोजगारी को तीन वर्ष के अन्दर आर्थिक रूप से इतना सक्षम बना देना है कि बैंक ऋण अदायगी के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से प्रतिमाह रू02000/- भी आर्थिक आय प्राप्त करने में सक्षम बन सके।
9. गठित समूहों के सदस्यों की सूची बी०पी०एल० क्रमांक सहित सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय एवं अभिकरण कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।

योजनान्तर्गत पूर्व प्रसारित पत्रांक-आर-1-2211/वि०का०/2000 दिनांक 10-11-2000 के अनुसार नये समूहों का गठन सुनिश्चित किया जायेगा।

सम्बन्धित संस्था से अपेक्षा की जाती है कि समय-समय पर जारी शासनादेश/विभागीय आदेशों का पालन करते हुये समूहों के गठन एवं संचालन

.......क्रमशः दो पर।

आदेश

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत समूहों के गठन एवं उनके विकास हेतु आपकी संस्था को अनुबन्ध पत्र की शर्तों के अनुसार निम्नानुसार आवंटित क्षेत्र में कार्य हेतु अधिकृत किया जाता है।

संस्था का नाम	विकास खण्ड	आवंटित क्षेत्र (न्यायपंचायत)	समूह संख्या
जन कल्याण परिषद शाहाबाद	कन्नौज	सेराखलू एवं मिश्रापुर	6 (छः)

समूह गठन के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि पूर्व में कार्य कर रहे समूहों को तोड़ कर नया समूह नहीं बनाया जायेगा। आवंटित क्षेत्र में गठित समूहों की ग्रेडिंग का फार्म आपको पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है। योजना की मार्ग-निर्देशिका संलग्न है, जिसके अनुसार समूह गठन/विकास की कार्यवाही सुनिश्चित करें। समूह गठन में निम्न विस्तृत मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखा जाये:-

1-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत एक स्वंय सहायता समूह में 10 से 20 व्यक्ति रखे जा सकते हैं। लघु सिंचाई एवं विकलांग व्यक्तियों के मामले में यह संख्या न्यूनतम 5 हो सकती है।

2-समूह के समस्त सदस्य गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के होने चाहिये। समूह में उसी परिवार से एक से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिये। एक व्यक्ति को एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिये।

3-समूह को अपने को निर्देशित करने हेतु एक आचार संहिता (समूह प्रबन्धन नीति) बनाना चाहिये। यह नियमित बैठकों के रूप में (साप्ताहिक या पाक्षिक) लोक तांत्रिक तरीके से कार्य करते हुये स्वतंत्र विचारों के आदान-प्रदान को अनुमन्य करते हुये निर्णय लेने की प्रक्रिया में सदस्यों की भागीदारी के रूप में होना चाहिये।

4-समूह को प्रत्येक बैठक का एजेण्डा बनाने तथा प्रत्येक एजेण्डा पर विचार करने में समर्थ होना चाहिये।

5-सदस्यों को नियमित बचतों के माध्यम से अपना कोष बनाना चाहिये। सदस्य बचत की मात्रा स्वंय निश्चित कर सकते है। समूह को सदस्यों से नियमित तौर पर न्यूनतम स्वैच्छिक बचत धनराशि संग्रह करने के लिये समर्थ होना चाहिये। इस प्रकार संग्रह की गयी बचत समूह की कोष फण्ड होगी।

6-समूह कोष फण्ड का प्रयोग सदस्यों को ऋण देने के लिये किया जाना चाहिये। समूह को ऋण स्वीकृति प्रक्रिया, वसूली प्रक्रिया एवं ब्याज दरों को शामिल करते हुए वित्तीय प्रबन्धन मानक को विकसित करना चाहिये।

7-समूह की बैठकों में सदस्यों की सामूहिक रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया के तहत ऋण वितरण सम्बन्धी निर्णय लेने चाहिये।

क्रमशः---2

पत्रांक 1222 /दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. खण्ड विकास अधिकारीः . . कन्नौज . . को इस निर्देश के साथ कि स्वयं सेवी संस्था को ग्रामवार समूह गठन के लक्ष्यों का आवंटन अपने स्तर से तत्काल करते हुये कृत कार्यवाही से अभिकरण को अवगत करायें। साथ ही संस्थाओं को बी0पी0एल0 परिवारों की सूची उपलब्ध कराते हुये वांछित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। संस्था द्वारा गठित समूहों का सतत् अनुश्रवण भी करते रहें। एक ग्राम पंचायत में एक ही संस्था को कार्य दिया जाये।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी डी0आर0डी0ए0 कन्नौज ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ ।

4. 01. 03

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कन्नौज।

आदेश

वर्ष 2001-02 में
स्वर्ण जयन्तीग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत समूहों के गठन एवं उनके विकास हेतु आपकी संस्था को अनुबन्ध पत्र की शर्तों के अनुसार निम्नानुसार आवंटित क्षेत्र में कार्य हेतु अधिकृत किया जाता है।

संस्था का नाम	विकास खण्ड	आवंटित क्षेत्र (न्याय पंचायत)	समूह संख्या
[illegible] कल्याण परिषद [illegible]बाद फर्रुखाबाद	कन्नौज	[illegible]	30+10 (40)

समूह गठन में निम्न विस्तृत मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखा जाये:-

1- योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप समूहों का गठन सुनिश्चित किया जाये।

2- गठित समूहों में 50 प्रतिशत अनु०जा०/अनु०जनजा०, 40 % महिला, 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का आच्छादन होना चाहिये।

3- समूहों के प्रशिक्षण में सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

4- समूहों में बचत एवं ऋण कार्यक्रम लागू करना तथा बैंकों व समूहो के बीच समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करेंगें।

5- आवश्यक तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

6- समूह/समूह के सदस्य द्वारा उत्पादों के विपणन में सहयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वयं सहायता समूह की ग्रेडिंग समय से कराना सुनिश्चित करेंगें।

8- समूह के प्रत्येक स्वरोजगारी को तीन वर्ष के अन्दर आर्थिक रूप से इतना सक्षम बना देना है कि बैंक ऋण अदायगी के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से प्रतिमाह रू०2000/- की आर्थिक आय प्राप्त करने के योग्य बन सके।

योजनान्तर्गत पूर्व प्रसारित पत्रांक आर-1-2211/वि०रा०/2000 दि०10-11-2000 के अनुसार नये समूहों का गठन सुनिश्चित किया जायेगा।

सम्बन्धित संस्था से अपेक्षा की जाती है कि समय-समय पर जारी शासन/विभागीय आदेशों का पालन करते हुये समूहों के गठन एवं संचालन के सम्बन्ध में मासिक प्रगति रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी/अभिकरण कार्यालय को समय से उपलब्ध करायेंगें।

(हरिनिवास मिश्रा)
परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कन्नौज।

पत्रांक 824 /दिनांक उक्त। 13/6/01
प्रतिलिपि:-

1- सम्बन्धित संस्था ..... [illegible] ..... को अनुपालनार्थ।
2- खण्ड विकास अधिकारी [illegible] को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।
3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ।

परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कन्नौज